मुख्य अभियंता–2,(गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

14.5.25

पत्रांक–मु0अ0–2/प्रा0–01–143/25 - 703 अनु0 पटना, दिनांक– 14.05.25

प्रेषक,

मुख्य अभियंता 2, (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **सासाराम।**

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–1 के अधीन **शीर्ष MMGSY (AWSESH)** अन्तर्गत स्वीकृत कुल **03 (तीन) पथ का निर्माण एवं छः वर्षीय रख–रखाव** का निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक–**374** अनु0 दिनांक **10.05.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **03 (तीन)** अदद पथों के प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट **'क'** में अंकित है।

1. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
2. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
3. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
6. अधीक्षण अभियंता, **कार्य अचंल, सासाराम** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
7. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
8. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पशचात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
9. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

CS CamScanner

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **सासाराम–1** के अधीन शीर्ष **MMGSY (AWSESH)** योजनान्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूची:–

क्र० सं०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि निर्माण कार्य (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Kargahar Barhri Dharampura Tetrar path se to Mahadit tola Larui	0.690	Letter N0 **804** Date- **28.04.2025**	136.826	130.95
2	Block- Kargahar Sirsiya Kudra prasathua Road to Akodhi Mahadilt tola	1.300	Letter N0 **804** Date- **28.04.2025**	147.724	140.596
3	Block- Kargahar Larui to Bisanpura Mahadalit tola	1.120	Letter N0 **804** Date- **28.04.2025**	157.079	157.68 ~~149.95~~

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता–2, (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

CamScanner